कार्यालय, प्रमुख वन संरक्षक, HoFF उत्तराखण्ड, देहरादून

वनादेश सं0 70 /1–13(13)(H.R.D) देहरादून दिनांक, 08 ,अप्रैल, 2022

पदोन्नति / तैनाती आदेश

इस कार्यालय के पत्रांक 188(H.R.D.)/1–12 (एच0आर0डी0) दिनांक 28–07–2021 द्वारा मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के रिक्त पदों पर पदोन्नति हेतु पदोन्नति समिति का गठन किया गया। पदोन्नति समिति की दिनांक 09–08–2021 को बैठक आयोजित की गयी। पदोन्नति समिति की संस्तुति के आधार पर वर्तमान में उत्पन्न रिक्तियों के सापेक्ष निम्नलिखित **प्रशासनिक अधिकारी (वेतनमान 44,900–1,42,400 वेतन मैट्रिक्स लेविल 07) की वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (वेतनमान 47,600–1,51,100 लेवल–08) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से** प्रोन्नति जनहित में की जाती है :–

क्र0सं0	प्रशासनिक अधिकारी का नाम	वर्तमान कार्यालय जिसमें कार्यरत हैं
1	2	3
1	श्री शशि बल्लभ बडोनी	प्रभागीय वनाधिकारी, भूमि संरक्षण वन प्रभाग उत्तरकाशी।

1. पदोन्नत कार्मिक द्वारा यदि पदोन्नति का परित्याग किया जाता है तो कार्मिक के विरुद्ध उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं में पदोन्नति का परित्याग (Forgo) नियमावली, 2020 के तहत कार्यवाही की जायेगी ।

2. संबंधित कार्मिक आदेश जारी होने की तिथि के दो सप्ताह के अन्तर्गत अपने वर्तमान तैनाती कार्यालय में ही पदोन्नति पर योगदान देना सुनिश्चित करें, यदि निर्धारित तिथि तक पदोन्नति / तैनाती स्थल पर योगदान नही दिया जाता है तो संबंधित कार्मिक का पदोन्नति आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा कनिष्ठ कार्मिक की पदोन्नति कर दी जायेगी।

3.. यदि कार्मिक द्वारा पदोन्नति स्वीकार नही की जा रही हो तो अधिकारी से लिखित रुप में इस आशय का पत्र प्राप्त कर तत्काल इस कार्यालय व मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक, उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित करें।

4. कार्मिक की पदोन्नति पर योगदान करने संबंधी सूचना इस कार्यालय व मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक प्रबंधन, उत्तराखण्ड, देहरादून को कार्मिक के योगदान देने के तत्काल पश्चात अनिवार्य रुप से उपलब्ध करा दी जाये। आगमी स्थानान्तरण सत्र में संबंधित मुख्य वन संरक्षक / वन संरक्षक अपने क्षेत्रांतर्गत कार्मिकों की रिक्तियों पर आवश्यकतानुसार नियमानुसार पृथक से तैनाती / स्थानान्तरण हेतु स्वतंत्र होगें।

E.T.G.C

(विनोद कुमार)
प्रमुख वन संरक्षक
उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्र सं0 1809 (1)/1-13(13)तददिनांकित्।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक प्रबंधन, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. संबंधित मुख्य वन संरक्षक / वन संरक्षक / प्रभागीय वनाधिकारी।
3. संबंधित मुख्य कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. संबंधित कार्मिक द्वारा नियंत्रक अधिकारी।
5. मु0व0सं0, अनुश्रवण, मूल्यांकन, आई0टी0 एवं आधूनिकीकरण, उत्तराखण्ड देहरादून को विभागीय वेबसाईट में अपलोड हेतु।
6. अधिष्ठान / गार्ड बुक।

(विनोद कुमार)
प्रमुख वन संरक्षक
उत्तराखण्ड, देहरादून